



Neutral Citation No. 2026:AHC:4514

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- – 14 / 2026

राजेंद्र कुमार

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

प्रेम प्रकाश

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थाई अधिवक्ता प्रदीप सिंह

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री टी.पी. गुप्ता और प्रत्यर्थीग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह को सुना गया।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"प्रत्यर्थी संख्या 2 / राजस्व परिषद उ० प्र० इलाहाबाद को यह निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वह उनके समक्ष 7.3.2025 से लंबित दूसरी अपील संख्या 873/2025 (जीत नारायण पांडे बनाम राजेंद्र कुमार और अन्य) का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर करें।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर बंटवारे के मुकदमे में विचारण न्यायालय ने एक प्रारंभिक डिक्री पारित की थी। उन्होंने आगे बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दायर पहली अपील खारिज कर दी गई है और प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दायर दूसरी अपील राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेशपत्र की एक प्रति प्रस्तुत की ताकि यह दर्शाया जा सके कि मामले की सुनवाई तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है।

4. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए इस याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है। इसके तहत प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० इलाहाबाद को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त दूसरी अपील का निर्णय कानून के अनुसार करे ऐसा करते समय वह संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करे और इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करे अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

8 जनवरी 2026

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रमीज़

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"